आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार

देहरादून (उत्तराखण्ड)

शुक्रवार 05.09.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार; मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 91 पर पहुँचा।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलों में वृद्ध आश्रम खोलने की घोषणा की।
- प्रदेश के स्कूलों में अब 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाओं का संचालन होगा।
- उत्तराखंड रेशम कीट बीज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना; कृषि मंत्री गणेश जोशी कहा– राज्य अब अन्य प्रदेशों को रेशम कीट बीज की अपूर्ति करने में सक्षम।

मातृ स्वास्थ्य

उत्तराखण्ड ने मातृ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के विशेष बुलेटिन के अनुसार राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात 2020–22 में 104 से घटकर 2021–23 में 91 पर आ गया है। इसमें 13 अंकों की कमी और 12 दशमलव पांच प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार की नीतियों, स्वास्थ्यकर्मियों की मेहनत और जनता की सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मातृ स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सफलता सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को और कम करना और प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित व सम्मानजनक प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वृद्ध आश्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी जिलों में वृद्ध आश्रम खोले जाएंगे, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल और सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के संवाद कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही।

श्री धामी ने बताया कि वर्तमान में बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं, जबकि देहरादून, अल्मोड़ा और चंपावत में नए भवनों का निर्माण कार्य जारी है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिव्यांगों से विवाह करने पर दी जाने वाली अनुदान राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने की घोषणा की। साथ ही, कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिये आयु सीमा समाप्त करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांग विवाह अनुदान एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के सॉफ्टवेयर का शुभारंभ भी किया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की पांचवीं किस्त का ऑनलाइन भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के लगभग 6 लाख वरिष्ठ नागरिकों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

स्पश्टीकरण

रेत मिश्रित नमक से जुड़ी शिकायत पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि "मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना" के अंतर्गत वितरित किया जा रहा आयोडीन युक्त नमक पूरी तरह गुणवत्तापूर्ण है।

विभाग के अनुसार नमक की गुणवत्ता की जांच, रक्षा खाद्य एवं अनुसंधान प्रयोगशाला मैसूर, आईटीसी लैब्स और राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर से कराई गई। सभी परीक्षण रिपोर्ट में नमक को एफ०एस०एस०ए०आई मानकों के अनुरूप और अच्छी गुणवत्ता का पाया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त चन्द्रेश कुमार ने कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग जल्द ही निर्माता के कारखाने का निरीक्षण करेगा और नियमित रूप से नमूनों की जांच भी कराता रहेगा।

शिक्षक दिवस

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के सभी शिक्षकों को बधाई दी और पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद् एवं दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक दिवस, अध्यापकों की कठिन मेहनत, समर्पण और अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। देश के विकास और प्रगति में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने शिक्षकों से निष्ठा और समर्पण भाव के साथ कार्य करते रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता हैं। वे विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका केवल विद्यार्थियों को शिक्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज को नई दिशा देने में भी अहम योगदान करते हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना बनाए रखने और देश–प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं के लिए 58 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है।

घनसाली बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए ढाई करोड़ से ज्यादा, जबकि देहरादून जिले में टर्नर रोड, पोस्ट ऑफिस मार्ग और मोहब्बेवाला के आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये हैं। इसके अलावा, पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून में 120 आवासों के निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है।

कक्षा संचालन अनिवार्य दिवस

उत्तराखंड के स्कूलों में अब 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाओं का संचालन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के तहत तैयार राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके तहत प्रत्येक सप्ताह 32 घंटे का शैक्षणिक दिवस तय किया गया है। साथ ही परीक्षा और मूल्यांकन कार्य के लिए 20 दिन और सह–शैक्षणिक गतिविधियों व बस्ता रहित दिवसों के लिए 10–10 दिन अलग से निर्धारित किए गए हैं।

सचिवालय स्थित सभागार में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों ने पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन सहित अन्य अधिकारियों और सदस्यों ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 की सिफारिशों के तहत कुल 297 कार्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से 202 राज्यों को लागू करने हैं।

<u>रेशम कीट बीज उत्पादन– आत्मनिर्भरता</u>

उत्तराखंड रेशम कीट बीज, उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अब प्रदेश, अन्य राज्यों को भी कीट बीज आपूर्ति करने में सक्षम है।

पिछले वर्ष विभाग ने 312 मीट्रिक टन शहतूत कोया, 55 हजार 352 ओकटसर कोया और 10 हजार किलो एरी रेशम कोये का उत्पादन किया, जिससे लगभग 9 हजार कृषक परिवारों को लाभ मिला। बसंत फसल में 7 लाख रोग मुक्त लार्वा– डी०एफ०एल्स का उत्पादन कर राज्य ने आत्मनिर्भरता हासिल की है।

श्री जोशी ने बताया कि राज्य को केंद्र से 13 करोड़ 91 लाख रुपये के प्रस्ताव में शहतूत और वन्या रेशम क्लस्टरों की मंजूरी मिल चुकी है। अब तक दो क्लस्टरों के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और शेष चार क्लस्टरों के लिए धनराशि जल्द उपलब्ध होगी। इनसे 450 परिवारों को रोजगार मिलेगा।

ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत 13 जिलों में 300 महिला लाभार्थियों को 90 हजार शहतूती पौधों का रोपण और प्रशिक्षण दिया गया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में 300 एकड़ भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण कर 600 किसान रेशम कीटपालन से जुड़े हैं। यहां भविष्य में धागाकरण और वस्त्रोपादन कार्य भी प्रस्तावित है।

<u>आर्थिक पैकेज मांग</u>

उत्तराखण्ड सरकार ने केंद्र सरकार से पांच हजार सात सौ दो करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। यह प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मानसून के दौरान हुई क्षति की भरपाई और भविष्य में संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए भेजा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–एनडीएमए के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एनडीएमए ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों को करीब एक हजार 944 करोड़ की क्षति हुई है। इनके पुनर्निर्माण और भविष्य की संरचनाओं को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त तीन हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ रुपये की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 8 सितम्बर को गृह मंत्रालय की अंतर–मंत्रालयी टीम राज्य के आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर स्थलीय आकलन करेगी।

समीक्षा

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने भारत–नेपाल सीमा पर हो रहे विकास कार्यों में सभी विभागों के बीच सामंजस्य पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार के विकास लक्ष्य समय पर पूरे किए जा सकेंगे।

यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के सभागार में सीमा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री महाराज ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लाइन मोटरमार्ग पुल का निर्माण पूरा हो चुका है और इसका पहुंच मार्ग भी इस माह पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 130 मीटर लंबे छारछूम पुल का निर्माण अगस्त 2025 से शुरू हो गया है, जो मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से टनकपुर–जौलजीवी दो–लेन मोटरमार्ग और अन्य कार्य स्वीकृत हैं, जिन पर काम जारी है।

सील / जुर्माना

हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील किया है और पांच मशीनें जब्त कर 9 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित समिति ने जिले के नैदानिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मानक अनुसार संचालित न होने पर इन अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील किया गया। इसके अलावा तीन केंद्रों में मौके पर चिकित्सक न मिलने और मशीन चालू हालत में पाए जाने पर जुर्माना और नोटिस जारी किए गए।

निरीक्षण में 19 संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई, जिन पर 50—50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।